न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 85/2015 G.C.M.S. No. 2015/00498 दर्ज दिनांक : 26.11.2015

अपीलार्थिगण:

1. स्वर्गीय छोगालाल पुत्र चतुर्भुज के कायम मुकाम:–
   1/1 शांतिदेवी बेवा स्वर्गीय छोगालाल, उम्र 62 वर्ष।
   1/2 प्रेमसिंह पुत्र स्वर्गीय छोगालाल, उम्र 33 वर्ष।
   1/3 महेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय छोगालाल, उम्र 28 वर्ष।
   1/4 दिलीपसिंह पुत्र स्वर्गीय छोगालाल, उम्र 26 वर्ष।
   1/5 हरीसिंह पुत्र स्वर्गीय छोगालाल, उम्र 24 वर्ष।
   1/6 सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय छोगालाल, उम्र 22 वर्ष।
   1/7 मीना पुत्री स्वर्गीय छोगालाल, उम्र 31 वर्ष।
2. नारायणलाल पुत्र स्वर्गीय चतुर्भुज, उम्र 58 वर्ष।
3. भंवरलाल पुत्र स्वर्गीय चतुर्भुज, उम्र 51 वर्ष, जातियान राजपुरोहित, निवासीगण गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली।
2. ग्राम पंचायत सुमेर जरिये सरपंच ग्राम सुमेर तहसील देसूरी व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 102/2004 बअनवान छोगालाल के का.मु. शांतिदेवी बनाम तहसीलदार देसूरी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री पी.एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 102/2004 बअनवान छोगालाल के का.मु. शांतिदेवी बनाम तहसीलदार देसूरी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व पत्रावली पर वादीगण अपीलार्थी के पक्ष में आवंटनसुदा भुमि पर कदिम से करीब 38 वर्षों से कब्जा काश्त होने, भुमि पर लाखों रूपये लगाकर विकास करवाने, भूमि पर निरन्तर

कब्जा काश्त होने, भुमि पर किसी प्रकार की चारागाह की स्थिति नहीं होने एवं वादीगण को विधिक रूप से इतनी लम्बी अवधी से काश्त करने की वजह से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने की स्थिति होने के बावजूद सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबुझकर रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादीगण से मिलावट कर भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुये भुमि को विधि के विपरित चारागाह दर्ज कर भुमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खाते मे सिवाय चक भुमि दर्ज करते हुये विवादग्रस्त भुमि की स्थिति को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था न ही सेटलमेंट विभाग द्वारा ऐसा किसी भी विधि के तहत किया जा सकता था। इन सब विधिक स्थितियों को दरकिनार करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री में पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित करने के संबंध में किसी भी प्रकार की साक्ष्य दर्ज नहीं की न ही वादीगण को सुनवाई का कोई अवसर दिया न ही वादीगण की साक्ष्य दर्ज की एवं न ही वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया। वाद पत्र में निर्णय एवं डिक्री दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य लिया जाना आवश्यक होता है जबकि इसके विपरित प्रतिवादीगण की ओर से न तो ऐसा कोई दस्तावेज रेकर्ड पर था एवं न ही प्रतिवादीगण की कोई साक्ष्य दर्ज की गई थीं एवं न ही ऐसी साक्ष्य पर वादीगण को जिरह करने का अवसर ही प्रदान किया गया था। जबाब दावा में मौखिक साक्ष्य दर्ज किया जाना अति आवश्यक घटक है। मौखिक साक्ष्य के अभाव में उसमें प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का कोई महत्व नहीं होता है। साथ ही मौखिक साक्ष्य में जिरह का अवसर नहीं प्रदान करने पर ऐसे मौखिक साक्ष्य का विधि मे कोई महत्व नहीं होता है। इन सब परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की सम्पूर्ण प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये एवं विधि के विपरित जाकर एकतरफा रूप से अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं। मूल वाद के निस्तारण से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। मूल वाद जिस उद्देश्य हेतु राजस्व लोक अदालत के तहत केम्प में रखा गया था उस उद्देश्य को दरकिनार करते हुए मौके पर न तो पक्षकारों से समझाईश की गई। चूंकि पक्षकार मौके पर उपस्थित ही नहीं थें तो समझाईश वाली कोई स्थिति नहीं थीं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को मूल वाद सामान्यतः न्यायालय में साक्ष्य हेतु नियत किया जाना चाहिए था, जिसके विपरीत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं अपीलार्थी की साक्ष्य दर्ज किये बिना एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को नजरअंदाज करते हुए उसके संबंध में किसी भी प्रकार का विवेचन अधिनस्थ न्यायालय में नहीं करते हुए अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं। अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 को पारित किया गया जिसके संबंध में न तो अपीलार्थी के अधिवक्ता को जानकारी थीं एवं न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा इस निर्णय की जानकारी अपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रदान की गई थीं। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के रिडर एवं कर्मचारी से बार–बार पूछताछ की जाती रही थीं जिस पर हर बार उनके द्वारा अधिवक्ता को पत्रावली पीठासीन अधिकारी के पास रखी होने का जबाब दिया गया था। इसके बाद कई बार अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के संबंध में जानकारी चाही गई। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी। अपीलार्थी वादीगण के परिवार में मात्र विधवा शांतिदेवी के अलावा गांव में कोई नहीं रहता है। सभी वादीगण मुम्बई में कार्य करते हैं, जिस पर काफी समय व्यतित हो जाने के बाद अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में चाराजोही करने पर पत्रावली में लोक अदालत केम्प कोर्ट में अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने की प्रथम बार जानकारी दिनांक 28.09.2015 को हुई। जिस पर उसी दिन उनके द्वारा निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल तैयार कर अधिवक्ता को 29.09.2015 को प्राप्त हुई जिस पर अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को दूरभाष पर दिनांक 30.09.2015 को अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री के बारे में प्रथम बार सूचित किया। तत्पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 को पारित किया गया जिसके संबंध में न तो अपीलार्थी के अधिवक्ता को जानकारी थीं एवं न ही न्यायालय द्वारा इस निर्णय की जानकारी अपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रदान की गई थीं। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के रिडर एवं कर्मचारी से बार–बार पूछताछ की जाती रही थीं जिस पर हर बार उनके द्वारा अधिवक्ता को पत्रावली पीठासीन अधिकारी के पास रखी होने का जबाब दिया गया था। इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बाद कई बार अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के संबंध में जानकारी चाही गई। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी। अपीलार्थी वादीगण के परिवार में मात्र विधवा शांतिदेवी के अलावा गांव में कोई नहीं रहता है। सभी वादीगण मुम्बई में कार्य करते हैं, जिस पर काफी समय व्यतित हो जाने के बाद अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में चाराजोही करने पर पत्रावली में लोक अदालत केम्प कोर्ट में अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने की प्रथम बार जानकारी दिनांक 28.09.2015 को हुई। जिस पर उसी दिन उनके द्वारा निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल तैयार कर अधिवक्ता को 29.09.2015 को प्राप्त हुई जिस पर अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को दूरभाष पर दिनांक 30.09.2015 को अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री के बारे में प्रथम बार सूचित किया। तत्पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब कारित किया जाना साबित नहीं हैं। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना आज्ञापक है तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली दिनांक 16.03.2007 से वास्ते कायमी तनकीयात नियत थीं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2015 तक प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं कर पत्रावली दिनांक 08.06.2015 को लोक अदालत कैम्प सुमेर में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। हमारे विनम्र मत में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 के अंतर्गत विवाद्यक कायम करना विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का आज्ञापक कर्तव्य होता है। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में लगभग 8 वर्ष के दीर्घकाल तक कोई विवाद्यक कायम नहीं कर पत्रावली निरंतर वास्ते कायमी तनकीयात नियत की जाती रही तथा प्रकरण में कोई भी तनकीयात कायम नहीं की गई एवं न ही वादपत्र में वादी या प्रतिवादी की साक्ष्य ली गई तथा न ही पत्रावली साक्ष्य में कभी नियत की गई एवं प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प सुमेर में नियत कर प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा निष्पादित नहीं करने के बावजूद, तनकीयात कायम किए बिना व किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना एवं पत्रावली को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कभी भी साक्ष्य हेतु नियत किए बिना दिनांक 08.06.2015 को लोक अदालत कैम्प में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। जोकि वादपत्रों के सम्यक निस्तारण हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में विहित संगत आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों के उल्लंघन में पारित निर्णय व डिक्री होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दूषित, त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध है। जोकि पुष्टियोग्य नहीं हैं।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– **"No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties."** इस प्रकार यह सुस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 102/2004 बअनवान छोगालाल के का.मु. शांतिदेवी बनाम तहसीलदार देसूरी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई एवं प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादपत्रों के सम्यक विचारण व निस्तारण के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 से 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में यथा प्रावधित संगत आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में दिनांक 11.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली